COURT
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
दस रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल म.प्र.

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3786 निगरानी प्रकरण क्र. .... / 2017

Entry/136

134

श्रीमति गोशिया बेगम पत्नी श्री इज्जू मियां
आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी–ग्राम नदोरा,
तह0 गोहरगंज, जिला रायसेन, थाना अब्दुल्लागंज
रायसेन म.प्र. ——— निगरानीकर्ता

विरूद्व

लक्ष्मीनारायण आ0 बाबूलाल आयु वयस्क
रामनारायण आ0 श्री बाबूलाल, आयु वयस्क
दोनो निवासी–ग्राम बड़वाई, तह0 गोहरगंज
जिला रायसेन, थाना गोहरगंज, जिला रायसेन ——— अनावेदकगण

अभिभाषक श्री बी.के. तिवारी द्वारा आज दिनांक 01.09.2017 को पेश।
अधीक्षक

श्रीमती वंदना ... आयुक्त भोपाल ... 23/04/2014

अधिकारी से भोपाल ... में प्राप्त
26/9/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोहरगंज, जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्र. 125/अ–12/2016–17 पक्षकार लक्ष्मीनारायण व अन्य विरूद्व सर्वसाधारण में पारित अंतिम सीमांकन आदेश दिनांक 27.06.2017 एवं सीमांकन दिनांक 26.06.2017 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जाती है:–

निगरानी के तथ्य

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने अपनी भूमि खसरा नंबर 323/2/1 रकबा 0.809 हे0, खसरा नंबर 323/2/2 रकबा 0.405 हे0 ग्राम घामघूसर, रा.नि.मं. चिकलोद कलां, तह0 गोहरगंज, जिला रायसेन का सीमांकन कराये जाने बाबत् अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोहरगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर सीमांकन करने बावत् राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को निर्देश दिये गये, उक्तानुसार राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा सीमांकन से पूर्व दिनांक 21.06.2017 की तारीख में मेढ़ पड़ौसी कृषको को सूचनापत्र जारी किया जाना चाहिए था, सूचनापत्र सीमांकन दिनांक 24.06.2017 का सीमांकन की कार्यवाही में संलग्न है, किन्तु उक्त नोटिस निगरानीकर्ता को तामील नहीं कराया गया है, नोटिस में तुलाराम कोटवार ने टीप लगाई है कि नंदकिशोर पाल ने नोटिस लेने से मना किया है और दिनांक 23.06.2017 की तारीख उल्लेख है, नोटिस में आवेदक का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, आवेदक के बारे में यह भी नहीं लिखा है कि उनको उनके पते पर जाकर सूचनापत्र दिया, सूचनापत्र लेने से इंकार किया अथवा नहीं किया, कोई टीप/रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है, नोटिस के अवलोकन से वास्तविकता का पता चलता है, इसलिए नोटिस का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा./2017/3786 जिला - रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गौहरगंज न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है। कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	